फर्द अहकाम

मोहन बनाम मोहन वगै0

न्यायालय मिसल

संख्या 75/2014

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/6/16	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट खुडियाला में पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार मौ... से नक्शा कुर्रेदार प्राप्त हुए जो शामिल मिसल किये गये। वकील पक्षकारान उभय पक्ष की सुनी। वकील पक्षकारान ने आपसी उभय के हस्ताक्षरित नक्शा कुर्रेदार बाद का कोर्ट डिक्री पारित करने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान को उभय को सुना लिया बाद उभय डिक्री पारित का बाद कोर्ट फीस के डिक्री निर्मित किया जाता है। विभाजन निर्मित किया जाता है। हुकम के [illegible] शामिल [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर की जाए।	

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) नूह

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत खुडियाला

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 75/2014

रज्जु दिनांक 07/05/2014

निर्णय दिनांक : 06/06/2016

मोहन पुत्र गोरधन, जाति बैरवा, निवासीः मांगलवाडा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

--वादी

बनाम

1. सोहन पुत्र गोरधन, जाति बैरवा, निवासीः मांगलवाडा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा दूदू, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

--प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत एडवोकेट

श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री एन.एस. पारीक एडवोकेट

विद्वान अधिवकता प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय दिनांक 06/06/2016

-: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी

सहायक क... (फास्ट ट्रेक) ...

Scanned by CamScanner

संवत् 2069–2072 के आराजी खतौनी संख्या 219 के आराजी खसरा नंबर 1897 रकबा 0.5900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1900 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1904 रकबा 0.9900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1905 रकबा 0.7600 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.8700 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगलवाडा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान मे स्थित है जिसमें वादी 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक 3/4 हिस्सा के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं लगान सरकारी अपने–अपने हिस्से अनुसार जमा कराते आ रहे है। उपरोक्त विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजित आराजीयात है परन्तु मौके पर पक्षकारान ने अपने–अपने हिस्से का बाहमी बंटवारा कर लिया तथा बंटवारा के अनुसार मौके काश्त कर उपज प्राप्त करते आ रहे है। विवादित आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में विधित रूप से तकासमा नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आये दिन मेर कोर को लेकर विवाद रहने लग गया है विवादित आराजीयात में वादी ने अपने हिस्से पर मेडबन्दी करके काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है जिससे प्रतिवादी बिना कानूनी रूप से विभाजनन हुये ही विवादित आराजी में वादी के उपजाऊ हिस्से पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अब तक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे थे। राजस्व रिकॉर्ड में तकासमा नहीं होने के कारण वादी राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओ का भी लाभ नहीं उठा पा रहा है। वर्तमान में जमीनो की कीमतो में भारी वृद्वि हो जाने व वादी द्वारा अपने हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 की नियत खराब हो गयी है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात में बिना तकासमा ही वादी के हिस्से पर कब्जा करना चाहता है दिनांक 22.04.2014 को वादी अपनी आराजीयात की सार–संभाल करने गया तब वहां प्रतिवादी संख्या 1 दीगर व्यक्तियो के साथ वादी की आराजी पर खडा था जब वादी ने इस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 से पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को धमकी दी कि विवादित आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में कानूनी रूप से तकासमा नहीं हुआ है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 दीगर व्यक्तियो को उक्त आराजी का बेचान कर वादी के उपजाऊ हिस्से पर जबरन कब्जा करवायेगा, जिससे वादी को यह वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स

Scanned by CamScanner

अनुसार तकासमा किया जाकर लगान की फेटबन्दी किया जाना एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मंसूबो मे कामयाब हो गया तो वादी के विधिक अधिकारो पर सख्त हकतलफी होगी। वादी को न्याय से महरूम रहना पडेगा, झगडा विवाद बढकर जन धन की हानि हो सकती है। प्रतिवादी संख्या 1 को उसके कृत्य से रोकने के लिये जब तक विवादित आराजीयात का तकासमा नहीं हो जाता प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 2 के यहां उक्त आराजी रहन होने से तथा प्रतिवादी संख्या 3 भू धारक होने से पक्षकार कायम किया गया है।

वादी ने वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजीयात वर्णित वाद पत्र के मद नंबर 1 का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी) के सिद्धान्त के अनुसार तकासमा किया जाकर लगान की फेटबन्दी अलहदा–अलहदा किया जावे। डिक्री की पालनार्थ हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र के वर्णित मद नंबर 1 की आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे न ही बिना तकासमा दीगर व्यक्तियो को बेचान करे न वादी के हिस्से पर कब्जा करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 28.05.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री नारायण सहाय पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस के तथ्यो पर मनन कर एवं पत्रावली के समस्त तथ्यो पर गौर कर दिनांक 19.06.2015 को वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम मांगलवाडा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान के आराजी खसरा नंबर 1897 रकबा 0.5900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1900 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1904 रकबा 0.9900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1905 रकबा 0.7600 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.8700 हैक्टेयर भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य

Scanned by CamScanner

मौके पर कब्जा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्वान्त अनुसार तकासमा किया गया। तहसीलदार मौजमाबाद को मुताबिक प्राथमिक डिक्री नक्शे कुरैजात तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट खुडियाला में प्रस्तुत हुई। तहसीलदार मौजमाबाद से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये जो शामिल पत्रावली किये गये।

वकील पक्षकारान को सुना गया। नक्शे कुरेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नक्शे कुरैजात निर्णयानुसार प्राप्त हुये। वकील पक्षकारान द्वारा प्राप्त नक्शे कुरेजात अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात को सही पाया जाकर प्राप्त नक्शे कुरेजात अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित वाके ग्राम मांगलवाडा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान का पक्षकारान के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता हैः

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा है0
1.	सोहन पुत्र गोरधन जाति बैरवा सा.देह राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा दूदू मुर्तहीन।	1897 1900 1904 1905	0.44 0.40 0.74 0.57
		4	2.15
2.	मोहन पुत्र गोरधन जाति बैरवा सा.देह।	1897 1900 1904 1905	0.15 0.13 0.25 0.19
		4	0.72

Scanned by CamScanner

तहसीलदार मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध चाहा गया स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह निर्णयानुसार वादी के हिस्से में आयी आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06/06/2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत खुडियाला में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन ...

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

अंतिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू, जिला जयपुर

ब इजलास श्री मोहन कुमार प्रजापत, आर.ए.एस.

मोहन पुत्र गोरधन जाति बैरवा, नि. मोगलावास, बनाम 1. सोहन पुत्र गोरधन जाति बैरवा नि. मोगलावास व अन्य प्रतिवादी क्र. 1 ता 3

दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा न. 75/2014 सन

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट

ब हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री एन.एम. पारीक

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम मोगलावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान को पक्षकारान के मध्य तकासमा किया जाकर बमुताबिक हिस्साइसार अलहदा-अलहदा किया जाता है।

निज .... मुवक्किल .... अदा

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .... फीसदी .... सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... माह .... सन .... को

जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुहर

(मुहर: सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

2)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा हे.
1.	मोहन पुत्र गोविन्द जाति बैरवा सा. देह रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा दूदू मुताबिक।	1897	0.44
		1900	0.40
		1904	0.74
		1905	0.57
		4	2.15
2.	मोहन पुत्र गोविन्द जाति बैरवा सा. देह।	1897	0.15
		1900	0.13
		1904	0.25
		1905	0.19

तहसीलदार मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध चाहा गया स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वह निर्णयानुसार वादी के हिस्से की भूमि आराजियात पर वादी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी न स्वयं करें न किसी अन्य से करवायें व पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू